कैप्सूल
05

दृष्टि
The Vision

मेन्स कैप्सूल सीरीज़

करेंट अफेयर्स

पिछले एक वर्ष के करेंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नोत्तरों का संकलन

द्वितीय संस्करण

IAS/PCS की मुख्य परीक्षा के
संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रश्नोत्तर शैली में कवरेज

दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध प्रमुख कोर्सेज़

IAS Foundation Course

सामान्य अध्ययन

प्रिलिम्स + मेन्स

- 1200+ घंटों की 500+ कक्षाएँ
- सभी टॉपिक के लिये प्रिंटेड नोट्स
- 3 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

IAS Foundation Course

General Studies

Prelims + Mains

- 400+ Classes of 1000+ hrs.
- Printed Notes of All Segments
- Other special facilities for 3 years

IAS Prelims Course

सामान्य अध्ययन

केवल प्रिलिम्स

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'क्विक बुक सीरीज़' की 9 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

IAS + UPPCS + BPSC Optional Subject

हिंदी साहित्य

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

- 400+ घंटों की कक्षाएँ
- पाठ्यक्रम में शामिल सभी पाठ्य-पुस्तकें तथा प्रिंटेड नोट्स
- 145 दैनिक अभ्यास प्रश्न और 18 टेस्ट पेपर (मॉडल उत्तर सहित)

BPSC Prelims Course

बिहार PCS

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'BPSC सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

RAS/RTS Prelims Course

राजस्थान PCS

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'RAS सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

एथिक्स (पेपर-4)

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

- कुल 70 कक्षाएँ
- IAS के साथ-साथ UPPCS के लिये पूर्णतः सटीक
- मूल्यांकन की सुविधा के साथ 6 टेस्ट

निबंध

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

- कुल 13 कक्षाएँ
- IAS के साथ-साथ PCS के लिये पूर्णतः सटीक
- मूल्यांकन की सुविधा के साथ 20 टेस्ट

अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर कॉल या वाट्सएप करें

विज़िट करें www.drishtiIAS.com

अपने फोन पर इंस्टॉल करें Drishti Learning App

दृष्टि
The Vision

मेन्स कैप्सूल सीरीज़

करेंट अफेयर्स

पिछले एक वर्ष के करेंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नोत्तरों का संकलन

(द्वितीय संस्करण)

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail : booksteam@groupdrishti.com

शीर्षक : पिछले एक वर्ष के करेंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नोत्तरों का संकलन

लेखक : टीम दृष्टि

द्वितीय संस्करण- जून 2021

मूल्य : ₹ 160

प्रकाशक

VDK Publications Pvt. Ltd.
(दृष्टि पब्लिकेशन्स)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

✸ इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।

✸ हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

✸ सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

✸ **© कॉपीराइट:** VDK Publications Pvt. Ltd. (दृष्टि पब्लिकेशन्स), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

✸ एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

मुख्य परीक्षा के महत्त्व से आप लोग भली-भाँति परिचित हैं ही। प्रारंभिक परीक्षा की भूमिका इस रूप में ज़रूर होती है कि हम सफलता की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इस दौड़ का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हम मुख्य परीक्षा में कैसा प्रदर्शन करते हैं? इसमें बेहतर करने से न केवल हम सफलता के बेहद नजदीक पहुँच जाते हैं बल्कि रैंक निर्धारण में भी इसकी भूमिका सर्वाधिक प्रभावी हो जाती है। इसलिये यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन और सिविल सेवा में चयन लगभग एक ही अर्थ रखते हैं। इसी उद्देश्य को साधने हेतु हमने 'मेन्स कैप्सूल सीरीज़' का प्रकाशन किया। इस सीरीज़ के अंतर्गत अब तक चार किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं।

मेन्स कैप्सूल सीरीज़ की अंतिम कड़ी के रूप में हम आपके समक्ष यह पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपने अब तक इस सीरीज़ की अन्य पुस्तकों का अध्ययन किया होगा तथा इसकी शैली व उपयोगिता से भली-भाँति परिचित हो गए होंगे। वस्तुतः इस पूरी परियोजना के पीछे हमारा उद्देश्य एकदम स्पष्ट था कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा पास करने में कोई कठिनाई न हो। इसी मूलमंत्र को ध्यान में रखते हुए हमने पुस्तक की रूपरेखा तैयार की। चाहे कंटेंट को प्रश्नों के रूप में ढालना हो तथा उत्तर के माध्यम से उससे संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करना हो या फिर सीरीज़ की सभी पुस्तकों को एक निश्चित क्रम से प्रकाशित करना हो, सबके केंद्र में एक ही दृष्टि थी कि तैयारी की रणनीति इतनी अचूक हो कि सफलता को लेकर कोई संशय न रहे। अब तक इस सीरीज़ के अंतर्गत प्रकाशित चारों पुस्तकें सामान्य अध्ययन के सभी चारों प्रश्नपत्रों को कवर करते हैं। इस पुस्तक में हम इन चारों प्रश्नपत्रों से जुड़े समसामयिक विषयों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हालाँकि एथिक्स प्रश्नपत्र का सीधा संबंध समसामयिक विषयों से नहीं होता इसलिये अधिक सटीक रूप से यह कहना ठीक होगा कि शेष तीनों प्रश्नपत्रों से संबंधित टॉपिक्स इसमें शामिल हैं।

इसमें भी हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि पाठ्यक्रम में शामिल जिन खंडों से समसामयिक घटनाक्रम से जोड़कर प्रश्न पूछने का चलन अधिक रहा है, उनपर अधिक सामग्री दी जाए। इसलिये ही आप पाएंगे कि इस पुस्तक में राजव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आर्थिक विकास और पर्यावरण इत्यादि पर विस्तृत पाठ्य-सामग्री उपलब्ध है। साथ ही अन्य छोटे किंतु महत्त्वपूर्ण खंड जैसे- आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा आदि को इस तरह से कवर किया गया है कि आपको किसी अन्य स्रोत को देखने की आवश्यकता ही न रहे। इसके अतिरिक्त वैसी सभी तथ्यात्मक जानकारियाँ जो आपके उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाएंगी, शामिल कर ली गई हैं। पुस्तक पढ़ते समय आप पाएंगे कि कुछ टॉपिक्स आपको एक से अधिक बार मिल रहे हैं। हमने सायास रूप से ऐसी व्यवस्था की है ताकि बड़ा व जटिल टॉपिक छोटे-छोटे खंडों में वर्गीकृत हो जाए और आप आसानी से उसे समझ पाएँ। कुल मिलाकर कहें तो इसे पढ़ने के बाद आप मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकने वाले उन तमाम प्रश्नों के लिये तैयार हो जाएंगे जिनका किसी भी रूप में समसामयिक घटनाक्रम से संबंध रहा होगा। इसे इसी उद्देश्य से तैयार किया गया है और हमें पूरा भरोसा है कि इससे आपकी सफलता की संभावना प्रबल होगी।

हालाँकि ऐसा नहीं है कि हम इस निष्कर्ष पर तुरंत पहुँच गए थे कि सीरीज़ का प्रारूप यही हो बल्कि इस पर खूब विमर्श हुआ तथा हमारी समृद्ध बौद्धिक टीम में इसको लेकर पर्याप्त मतांतर रहा। हमारी टीम के सभी सदस्यों को इस परीक्षा तथा इससे जुड़ी पाठ्य-सामग्री का सुदीर्घ अनुभव रहा है और सारे मतांतर की जड़ में एक ही बात थी कि कैसे सर्वाधिक लाभदायक प्राप्ति हो सके। वस्तुतः, कुछ सदस्यों का मानना था कि हमें समसामयिक खंड को भी परंपरागत खंड के साथ ही जोड़ देना चाहिये, इससे एक क्रमबद्धता बनी रहेगी तो वहीं अन्य सदस्य इस राय के पक्षधर थे कि अगर ऐसा किया गया तो एक पुस्तक का आकार इतना वृहद् हो जाएगा कि वह विद्यार्थियों को भयभीत कर सकने की क्षमता से लैस होगा। और अगर हम आकार को सीमित रखने का प्रयास करते तो समसामयिक घटनाक्रम को उसकी संपूर्णता में शामिल नहीं कर पाते तथा महज औपचारिक उल्लेख से हमें काम चलाना पड़ता। अंततः यह पाठकों के हित में नहीं होता इसलिये हमारी टीम इस बात पर एकमत हो गई कि इसे वर्तमान प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया जाए अर्थात् समसामयिक घटनाक्रम का अलग खंड हो। इससे एक अन्य लाभ यह भी होगा कि आप अधिक केंद्रित होकर नवीन परिवर्तनों से अवगत हो सकेंगे तथा साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान आपका मस्तिष्क इससे जुड़ी परंपरागत धारणा को भी स्मरण कर रहा होगा। इस प्रकार आपकी दोहरी तैयारी हो जाएगी।

अब पुस्तक आप पाठकों के हवाले है। हमारा प्रयास कितना सफल रहा और आपकी राह इससे कितनी आसान हुई, हमें बताएँ। यह भी कि आपको कहाँ सुधार की गुंजाइश महसूस हुई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आने वाली पुस्तकों में अपेक्षित बदलाव कर लेंगे। आप अपनी राय हमें **'8130392355'** नंबर पर वाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं।

शुभकामनाओं सहित...

प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

1. भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था 1-35

2. भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय 36-47

3. अंतर्राष्ट्रीय संबंध..... 48-72

4. अर्थव्यवस्था 73-102

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.....103-117

6. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 118-151

7. सुरक्षा.....152-164

1 भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
(Indian Consitution and Polity)

सोशल मीडिया कई संदर्भों में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है लेकिन हाल की घटनाओं ने विनियमन के महत्त्व को रेखांकित किया है। हालाँकि, विनियमन के संबंध में कई चिंताएँ हैं। तार्किक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) **15**

Social media is an important tool in many contexts but recent events have underlined the importance of regulations. However, there are many concerns regarding regulations. Logically analyze

उत्तर: सोशल मीडिया के आविर्भाव ने इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं का तेज़ी से सशक्तीकरण किया है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया केवल लोगों के आपस में जुड़ने का ज़रिया नहीं रह गया बल्कि यह मार्केटिंग, समाचार रिपोर्टिंग, सामाजिक सक्रियतावाद, मनोरंजन व राजनीतिक पहुँच इत्यादि हेतु एक टूल के रूप में कार्य करने वाली बहुमुखी संरचना बन गया है। सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग से सुशासन व लोगों के राजनीतिक सशक्तीकरण में सहायता मिली है। 'हैशटैग एक्टिविज़्म' के द्वारा सामाजिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने में सोशल मीडिया ने बड़ी सहायता की है। साथ ही, सोशल मीडिया के माध्यम से नवाचार व नए आर्थिक अवसरों के सृजन, शिक्षण संस्थाओं द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों से संवाद साधा जाना, सामाजिक व सांस्कृतिक विविधताओं के एक ही मंच पर सम्मिलन व संवाद जैसे सोशल मीडिया के अनेक सकारात्मक प्रभाव हैं।

कई लाभों के बाद भी हाल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया एकाउंट्स का सस्पेंड होना तथा दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर फेक ट्रेंड चलने पर सरकार के निर्देश के बाद भी ट्विटर द्वारा उचित कार्यवाही का न होना इत्यादि कारण सोशल मीडिया विनियमन को आवश्यक बनाते हैं। इसमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं -

- इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने स्पेस को सुरक्षित व निष्पक्ष रखने की नैतिक ज़िम्मेदारी लागू होती है। इन प्लेटफॉर्म्स के पास उनके मंच पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को विनियमित करने व हटा देने तक के पर्याप्त साधन मौजूद हैं। परंतु ऐसा देखा गया है कि कई संवेदनशील मामलों में उन्होंने विवादास्पद कंटेंट प्रसारित होने दिया है।
- मूलत: उपयोगकर्त्ताओं द्वारा सृजित कंटेंट को प्रसारित करने वाले ये प्लेटफॉर्म्स, स्वयं का कंटेंट भी सृजित कर अपने प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने लगे हैं, जिससे हित-संघर्ष की संभावना बनती है।
- बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर यह आरोप भी लगता है कि जैसे-जैसे इनका आधार विस्तृत होता जा रहा है, ये एकाधिकारी शक्तियाँ अर्जित करती जा रही हैं और छोटी कंपनियों को नुकसान पहुँचाते हुए मुक्त बाज़ार की भावना को आहत कर रही हैं।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिधि में किस सीमा तक अभिव्यक्ति अनुमेय (Permissible) है, इसके निर्धारक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं, जबकि सामान्यत: यह दायित्व राष्ट्रों की न्यायपालिका का होता है।
- एक बड़ी चिंता संप्रभु देशों के भीतर लोकतंत्र व लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पर 'बिग टेक' (बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों) के प्रभाव का भी है। चुनावों के दौर में सोशल मीडिया पर विभिन्न राजनेताओं के विरुद्ध झूठी खबरें फैलाना, चुनावों के दौरान राजनीतिक लाभ की संभावना के चलते किसी वर्ग के प्रति अत्यधिक घृणा फैलाना आदि घटनाओं का प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से कमोबेश अनियंत्रित रूप से किया जाता है।
- सोशल मीडिया को अबाध सूचना प्रवाह हेतु ही डिज़ाइन किया गया है, ऐसे में किशोरों और वंचित वर्गों को सोशल मीडिया पर अपनी निजता व अपने डाटा की सुरक्षा करने में कठिनाई होती है। इसके परिणाम वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन मानहानि, लोगों का डाटा चोरी कर उसका दुरुपयोग किया जाना जैसी घटनाओं में देखने को मिलते हैं।

  जहाँ सोशल मीडिया का विस्तारित होता दायरा विनियमन की ओर बल देता है वहीं विनियमन को लेकर निम्नलिखित चिंताएँ भी हैं-
- कई क्षेत्रों पर कठोर सरकारी नियंत्रणों से हमारा अनुभव यह रहा है कि कठोर सरकारी विनियम नवाचारों को रोकते हैं और एकाधिकार की स्थापना करते हैं।
- विनियमों का अनुपालन करने की उच्च लागत प्रतिस्पर्द्धा को बाधित करती है क्योंकि इसके चलते स्टार्ट-अप निवेश करने व बाज़ार में प्रवेश करने से कतराते हैं। जिससे अंतत: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।
- सरकारों द्वारा सोशल मीडिया को विनियमित करने के प्रयास से नागरिकों की जासूसी और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन का मार्ग भी खुल सकता है।
- सरकार के दिशानिर्देशों का प्लेटफॉर्म्स द्वारा कठोरता से अनुपालन किया जाता है तो इसकी भी संभावना है कि इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा अपनी ओर से भी सरकारी दिशा-निर्देशों की आड़ में अप्रिय व असहमति-युक्त सामग्री का दमन किया जा सकता है।

आगे की राह

- सरकारों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्वनियमन (Self-regulation) के लिये प्रेरित करना एक अच्छा उपाय हो सकता है। 25 फरवरी, 2021 को भारत सरकार ने 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021' अधिसूचित किये हैं।

2 भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय (Indian Society and Social Justice)

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की उपलब्धियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

Critically evaluate the achievements of Beti Bachao Beti Padhao scheme.

उत्तर: देश में लिंग आधारित चयन पर रोकथाम तथा बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा व महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBP) को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत समाज में लड़का-लड़की एक समान के विचार को सर्वोपरि रखते हुए बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर, संवेदनशील और जागरूक बनाकर तथा सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच को बदलने हेतु जो अथक प्रयास किया जा रहा है, उसके मौजूदा परिणामों को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- **जन्म के समय लिंग अनुपात:** स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014-15 में जन्म के समय लिंग अनुपात 918 था जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 934 हो गया है। BBBP के अंतर्गत शामिल जिलों में इस अवधि में औसतन 60% से अधिक का सुधार हुआ है; उदाहरणार्थ मऊ (उत्तर प्रदेश), महेंद्रगढ़ (हरियाणा) में 2014-15 की अपेक्षा लिंगानुपात 2019-20 में क्रमश: 694 से 951 व 791 से 919 हो गया है ।
- **स्वास्थ्य:** संस्थागत प्रसव में सुधार का प्रतिशत वर्ष 2014-15 के 87% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 94% तक पहुँच गया है। साथ ही पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल (ANC) पंजीकरण में सुधार हुआ है।
- **शिक्षा:** माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं के सकल नामांकन अनुपात (GER) में 77.45 (वर्ष 2014-15) से 81.32 (वर्ष 2018-19) तक सुधार हुआ है। बालिकाओं के लिये अलग शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत वर्ष 2018-19 में 95.1% हो गया है।
- **सोच में परिवर्तन:** BBBP योजना कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं में शिक्षा की कमी और जीवन चक्र की निरंतरता के अधिकार से उन्हें वंचित करने जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है। 'Selfie With Daughter' जैसी पहल सोच में परिवर्तन को ही प्रदर्शित करती है।
- इसके अतिरिक्त किशोरी स्वास्थ्य कार्ड, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना तथा राज्यस्तरीय योजनाओं, जैसे- लाडली लक्ष्मी योजना (मध्य प्रदेश), भाग्यलक्ष्मी (कर्नाटक) आदि ने भी लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किया है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने नि:संदेह देश में जमीनी स्तर तक लैंगिक समानता को लेकर समाज में जागरूकता का प्रसार किया है और इसके सकारात्मक परिणामों को उपर्युक्त उदाहरणों के माध्यम से समझा भी जा सकता है, लेकिन आज भी बाल विवाह, लड़कों को अपेक्षाकृत ज्यादा प्राथमिकता देने की रीति विद्यमान है और इसको बढ़ावा देने में कोरोना महामारी ने भी व्यापक भूमिका अदा की है ।

अत: एक समाज और देश के तौर पर हमें लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा के साथ-साथ बालिकाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण पर भी बल देना होगा। इस हेतु सरकार द्वारा महिलाओं को चुनावों, नौकरियों आदि में दिया जाने वाला आरक्षण तथा विभिन्न NGOs द्वारा बालिकाओं के उत्थान हेतु किए जाने वाले प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रमुख प्रावधानों को व्यक्त करते हुए इससे जुड़ी चिंताओं को भी उजागर कीजिये। (250 शब्द) 15

Highlight the concerns related to the Social Security Code 2020 while pouring out major provisions of it.

उत्तर: संस्थागत और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को स्वास्थ्य सुविधा, प्रसूति प्रसुविधा और आय सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को लाया गया है । इसके प्रमुख प्रावधानों को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- संहिता के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, निश्चित अवधि के कर्मचारियों और गिग श्रमिकों, प्लेटफॉर्म श्रमिकों, अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों आदि को शामिल करके कवरेज क्षेत्र को व्यापक बनाया गया है।
- जोखिमकारी क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से ईएसआईसी से संबद्ध किए जायेंगे। असंगठित क्षेत्र के कामगारों व गिग कामगारों के साथ-साथ बागान के कामगारों को भी ईएसआईसी से सम्बद्ध करने का प्रावधान किया गया है।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करने हेतु प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय पक्ष पर एक "सामाजिक सुरक्षा निधि" सृजित की जाएगी।
- बदलती प्रौद्योगिकी के साथ सृजित रोज़गार के नए स्वरूपों जैसे "प्लेटफॉर्म कामगार और गिग कामगार" को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का कार्य सामाजिक सुरक्षा संहिता में किया गया है।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से, इन सभी कामगारों का एक ऑनलाइन पोर्टल पर

3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

'नई परिस्थितियों में भारत और यूनाइटेड किंगडम को यह समझना चाहिये कि अपने बड़े और व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता है।' चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

'As per the new development, India and the United Kingdom must understand that they both need each other to achieve their larger and broader goals.' Discuss.

उत्तर: भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के मध्य मज़बूत ऐतिहासिक संबंधों के साथ-साथ आधुनिक कूटनीतिक संबंध भी मौजूद हैं। हाल ही में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य एक आभासी द्विपक्षीय बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग से संबंधित विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई।

भारत और यूके को एक-दूसरे की आवश्यकता

- **भारत का उदय:** भारत एक ट्रांजीशन अथवा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसका परिणाम यूके के पक्ष में हो सकता है। भारत पहले से ही क्रय शक्ति समता विनिमय दरों (Purchasing Power Parity Exchange Rates) के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले दशकों में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है, इसकी राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति भी बढ़ रही है। इसी के साथ, भारत 21वीं सदी की महाशक्ति बनने की राह पर है।
- **यूनाइटेड किंगडम का पुनरुत्थान:** ब्रिटेन के पास शिक्षा, अनुसंधान, नागरिक समाज एवं रचनात्मक क्षेत्र में भारत को देने के लिये बहुत कुछ है। भारत में अंग्रेजी बोलने वाले मध्यम वर्ग की जनसंख्या में भारी वृद्धि ब्रिटेन के लिये एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। इससे पहले कि भारत की अगली पीढ़ी कहीं और अवसर तलाशे, यूके व्यापार, कूटनीति, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के लिये अपने दरवाजे खोल सकता है।

भारत और यूके संबंधों में चुनौतियाँ –

- **औपनिवेशिक प्रिज़्म:** इस असफलता का एक कारण औपनिवेशिक प्रिज़्म है, जिसने पारस्परिक धारणाओं को विकृत कर दिया है। यूके विशेष रूप से ब्रिटेन के खिलाफ उपनिवेशवाद विरोधी आक्रोश हमेशा भारतीय राजनीतिक और नौकरशाही वर्गों के बीच बना रहता है। ब्रिटेन को भी भारत के बारे में अपने पूर्वाग्रहों से छुटकारा पाने में मुश्किलें होती है।
- **विभाजन की विरासत:** विभाजन की विरासत और पाकिस्तान के प्रति यूके के कथित झुकाव के कारण भी भारत और यूके के बीच अच्छे संबंध बनने में कठिनाई आती रही है।
- **यूके के सामाजिक संगठनों का रवैया:** यूके के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की भारत के आंतरिक मामलों के प्रति बढ़ती नकारात्मकता और सक्रियता भी दोनों देशों के मध्य संबंधों को प्रभावित करती है।

आगे की राह

- **महामारी का प्रबंधन:** यूके और G7, भारत की आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के साथ-साथ भविष्य में होने वाली वैश्विक महामारियों का प्रबंधन करने में काफी हद तक सक्षम हैं। इन देशों के साथ मिलकर भारत में टीके के उत्पादन को बढ़ाने से लेकर एक मज़बूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की संरचना विकसित करने की भी अपार संभावनाएँ हैं।
- **आर्थिक लाभ:** यूके के ब्रेक्जिट करने और भारत के चीन-केंद्रित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) में शामिल न होने के बाद से दोनों देश अपने संबंधित क्षेत्रीय ब्लॉक से अलगाव का सामना कर रहे हैं। यद्यपि दोनों अपने क्षेत्रीय भागीदारों के साथ व्यापार करना जारी रखेंगे और साथ ही, दोनों ही देश नई वैश्विक आर्थिक भागीदारी बनाने के लिये प्रयासरत हैं।
- **रणनीतिक लाभ:** यूरोप में एक सुरक्षा सहयोगी के रूप में बने रहते हुए यूके हिंद-प्रशांत क्षेत्र की तरफ झुक रहा है, जहाँ भारत एक स्वाभाविक सहयोगी हो सकता है। वैश्विक स्तर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को क्षेत्रीय संतुलन बहाल करने के लिये व्यापक गठबंधन की आवश्यकता है।
- **डोमिनो इफेक्ट:** यदि दोनों देश अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को और मज़बूत करते हैं एवं क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विस्तृत करते हैं तो भारत और यूके के लिये क्रमशः पाकिस्तान और दक्षिण-एशियाई प्रवासी राजनीति पर यूके में होने वाली अनियमितताओं का प्रबंधन करना आसान हो सकता है। उल्लेखनीय है कि दोनों देश यूके में भारतीयों के कानूनी प्रवासन को सुविधाजनक बनाने के लिये 'प्रवास और गतिशीलता' (Migration And Mobility) समझौता करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।

भारत एवं यूके के बीच संस्कृति, इतिहास और भाषा के रूप में पहले से ही एक मज़बूत नींव उपलब्ध है, जिस पर दोनों देशों के संबंध और अधिक विकसित हो सकते हैं।

कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियाँ भारत की विदेश नीति को कई मोर्चों पर प्रभावित करेंगी। इस कथन के संदर्भ में अपना मत व्यक्त कीजिये। (250 शब्द) 15

The circumstances arising out of Covid-19 will affect India's foreign policy on many fronts. Give your opinion in the conteñt of this statement.

4 अर्थव्यवस्था (Economy)

कोविड-19 महामारी से प्रेरित वर्तमान परिदृश्य, बैंकिंग क्षेत्र को अपने लचीलेपन में सुधार करने और वित्तीय स्थिरता बनाए को रखने हेतु कुछ प्रतिमान में बदलावों की मांग करता है। विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

The current scenario, inspired by the Covid-19 pandemic, calls for some paradigm shifts in the banking sector to improve its resilience and maintain financial stability. Discuss

उत्तर: हाल के दिनों में कोविड-19 के कारण के अर्थव्यवस्था में गिरावट का छोटे-बड़े सभी व्यवसायों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके कारण व्यवसायों और व्यक्तियों की ऋण चुकाने की क्षमता भी प्रभावित हुई है। इसी आधार पर आरबीआई का अनुमान है कि सितंबर 2021 में बैंकों की सकल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ (एनपीए) 13.5 प्रतिशत हो सकती हैं। इसके साथ ही परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट, वित्तीय सुदृढ़ता और दक्षता में गिरावट ने भारतीय बैंकिंग उद्योग को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

भारतीय बैंकिंग उद्योग द्वारा चुनौतियों से निपटने के लिये उठाए गए कदम-

- सरकार दो चरणों (1969 और 1980) में 20 प्रमुख निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से उद्योगों तथा बैंकों के बीच सांठ-गांठ तोड़ने तथा प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रवाह को लागू करने (1972) में सफल रही है। इन पहलों के परिणामस्वरूप 'क्लास बैंकिंग' से 'मास बैंकिंग' में बदलाव संभव हुआ। इसके अलावा भारत (ग्रामीण) में शाखा नेटवर्क के विस्तार, सार्वजनिक जमा और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- उदारीकरण के पश्चात (1991-2014) की अवधि में ऐतिहासिक सुधारों को देखा गया जहाँ प्रतिस्पस्पर्द्धा व उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ दक्षता को बढ़ाने के लिये निजी एवं विदेशी बैंकों को नए लाइसेंस जारी किये गए।
- वर्ष 2014 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र ने JAM (जन-धन, आधार और मोबाइल) को अपनाने और भुगतान बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों (SFB) को लाइसेंस जारी करने जैसे कार्यों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।

किन्तु वर्तमान में कोविड-19 के बाद उभरी आर्थिक चुनौतियों और बढ़ते एनपीए समाधान तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये बैंकिंग क्षेत्र में लचीलेपन में सुधार करने और वित्तीय स्थिरता बनाए को रखने हेतु निम्नलिखित बदलावों की आवश्यकता है-

- **बिग बैंक:** नरसिम्हम समिति रिपोर्ट (1991) में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में घरेलू व विदेशी बैंकों के साथ-साथ तीन या चार बड़े वाणिज्यिक बैंक भी होने चाहिये।
  - दूसरी श्रेणी में कई मध्यम-आकार के ऋणदाता शामिल हो सकते हैं, जिनमें कई ऐसे प्रमुख बैंक भी शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था में व्यापक उपस्थिति दर्शाते हैं।
  - इन सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों का विलय कर दिया है तथा DFI और बैड बैंक आदि की स्थापना की दिशा में कदम उठाए हैं।
- **विभेदित बैंकों की आवश्यकता:** यद्यपि सार्वभौमिक बैंकिंग मॉडल को व्यापक रूप से पसंद किया गया है किंतु विभिन्न ग्राहकों और उधारकर्त्ताओं की विशिष्ट एवं भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशिष्ट बैंकिंग की आवश्यकता है।
  - ये विशेष बैंक, RAM (Retail, Agriculture, MSMEs) जैसे क्षेत्रों में अनिवार्य वित्त की पहुँच को आसान बनाएँगे।
  - इसके अलावा, प्रस्तावित DFI/विशिष्ट बैंक को ऐसे प्रमुख बैंकों के रूप में स्थापित किया जा सकता है जिनके पास कम लागत वाले सार्वजनिक जमा और बेहतर परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन तक पहुँच हो।
- **ब्लॉकचेन बैंकिंग:** इसमें जोखिम प्रबंधन अधिक विशिष्ट हो सकता है और यह नवीन-बैंक (डिजिटल), वित्तीय समावेशन तथा आकांक्षी/नए भारत के उच्च विकास के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं।
  - इसके लिये भारतीय बैंकिंग में ब्लॉकचौन जैसी प्रौद्योगिकी को लागू किया जा सकता है।
  - ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की अनुमति देगा जिससे बैंकों पर नियंत्रण रखना आसान हो सकता है।
- **नीतिगत जोखिम को कम करना:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विफलता आज तक एक दुर्लभ घटना रही है और बैंकों में बेहतर सार्वजनिक विश्वास का मुख्य कारण इनके द्वारा प्रदत्त संप्रभु गारंटी है।
  - हालाँकि सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के साथ यह हमेशा सही नहीं हो सकता है।
  - इसलिये उच्च व्यक्तिगत जमा बीमा और सार्वजनिक खजाने हेतु कम लागत के साथ नीतिगत एवं प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिये प्रभावी क्रमिक समाधान प्रणाली की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **ESG फ्रेमवर्क:** विभेदित बैंकों को भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है और दीर्घकाल में अपने हितधारकों हेतु उन्हें ESG (पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी और शासन) फ्रेमवर्क का भी पालन करना चाहिये।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

हाल ही में भारत में 5जी प्रौद्योगिकी के परीक्षण की अनुमति दी गई है। इस संदर्भ में 5जी प्रौद्योगिकी की विशेषताएँ और अनुप्रयोग बताएँ। (250 शब्द) 15
Recently, testing of 5G technology has been allowed in India. Explain the features and applications of 5G technology in this context.

उत्तर: विश्व के अन्य प्रमुख देशों के अनुरूप भारत वर्ष 2018 से ही 5जी प्रौद्योगिकी प्रारंभ करने पर विचार कर रहा था। इसी क्रम में हाल ही में दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 5जी प्रौद्योगिकी के उपयोग और उससे संबंधित परीक्षण की अनुमति दे दी है।

5जी प्रौद्योगिकी की विशेषताएँ:

- 5जी में बैंड्स- 5जी मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 बैंड में कार्य करता है-
  - **लो बैंड स्पेक्ट्रम (Low Band Spectrum):** इसमें इंटरनेट की गति और डेटा के इंटरैक्शन-प्रदान की अधिकतम गति 100 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड तक होती है।
  - **मिड बैंड स्पेक्ट्रम (Mid-Band Spectrum):** इसमें लो बैंड के स्पेक्ट्रम की तुलना में इंटरनेट की गति अधिक होती है, फिर भी इसके कवरेज क्षेत्र और सिग्नलों की कुछ सीमाएँ हैं।
  - **हाई बैंड स्पेक्ट्रम (High-Band Spectrum):** इसमें उपरोक्त अन्य दो बैंड्स की तुलना में उच्च गति होती है, लेकिन कवरेज और सिग्नल भेदन की क्षमता बेहद सीमित होती है।
- **उन्नत LTE:** 5जी 'लॉन्ग-टर्म एवोलूशन' (LTE) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में सबसे नवीनतम अपग्रेड है।
- **इंटरनेट स्पीड और दक्षता:** 5जी के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की स्पीड को 20 गीगाबिट्स प्रति सेकंड तक दर्ज किया गया है, जबकि 4जी में इंटरनेट की अधिकतम स्पीड 1 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड होती है।
  - 5जी तीन गुना अधिक स्पेक्ट्रम दक्षता और अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रदान करेगा। लेटेंसी से आशय एक नोड से दूसरे नोड तक जाने में किसी डेटा पैकेट द्वारा लिये गए कुल समय से है। लेटेंसी समय अंतराल या देरी को संदर्भित करता है।

5G के अनुप्रयोग:

- **चौथी औद्योगिक क्रांति:** इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्लाउड, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और एज कंप्यूटिंग के साथ, 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक महत्त्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है।
  - **सूचना का वास्तविक समय प्रसारण:** 5जी के प्राथमिक अनुप्रयोगों में से एक सेंसर-एम्बेडेड नेटवर्क का कार्यान्वयन होगा, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे- विनिर्माण, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और कृषि आदि में वास्तविक समय पर सूचना के प्रसारण की अनुमति देगा।
  - **कुशल परिवहन अवसंरचना:** 5G परिवहन अवसंरचना को स्मार्ट बनाकर अधिक कुशल बनाने में भी मदद कर सकता है। 5G वाहन-से-वाहन और वाहन-से-अवसंरचना के संचार को सक्षम करेगा और ड्राइवर रहित कारों के निर्माण में मदद करेगा।
- **सेवाओं की पहुँच में सुधार:** 5G नेटवर्क, मोबाइल बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा आदि की पहुँच में भी सुधार कर सकता है।
- **स्थानीय अनुसंधान:** यह स्थानीय अनुसंधान और विकास के लिये तंत्र को प्रोत्साहित करेगा, ताकि वाणिज्यिक जरूरतों के अनुरूप अभिनव अनुप्रयोगों को विकसित किया जा सके।
- **आर्थिक प्रभाव:** सरकार द्वारा नियुक्त पैनल (2018) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 5जी से वर्ष 2035 तक भारत में $1 ट्रिलियन का संचयी आर्थिक प्रभाव पैदा होने की संभावना है।

भारत में डिजिटल इंडिया अभियान को सफल बनाने और चौथी औद्योगिक क्रांति का लाभ प्राप्त करने के लिये 5जी प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्ण है। इसके परीक्षण की अनुमति इस दिशा में उठाया गया उचित कदम है।

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में डाटा संरक्षण को लेकर कई चिंताएँ विद्यमान हैं। किंतु प्रस्तावित कानून भी सभी चिंताओं का समाधान नहीं करता है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15
There are many concerns regarding data protection in the present Information Technology Act. However the proposed legislation does not address all concerns. Please comment.

उत्तर: डिजिटल इंडिया अभियान और विश्व में सबसे सस्ते डेटा की उपलब्धता कारण भारत में डाटा की खपत तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही इससे उत्पन्न डाटा का बाजार भी विस्तारित हो रहा है। ऐसे में डाटा संरक्षण को लेकर चिंताएँ स्वाभाविक हैं।

वर्तमान में, भारत में उपयोगकर्त्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित करने और संसाधित करने की विधि को मुख्यत: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। किंतु इसके बाबजूद भी निम्नलिखित चिंताएँ हैं-

- **सहमति का दुरुपयोग:** भारतीय उपयोगकर्त्ताओं में नियम और शर्तों या सहमति देने को लेकर जागरूकता का अभाव है, ऐसे में डेटा एग्रीगेटर इकाइयाँ नियमों और शर्तों के तहत व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिये अधिनियम में प्रदान की गई सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं।
- **डेटा गोपनीयता की उपेक्षा:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्रदान की गई रूपरेखा डेटा सुरक्षा पर जोर देती है, किंतु इसमें डेटा गोपनीयता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

6 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

'शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन' का लक्ष्य प्राप्त करने के संदर्भ में वैश्विक सर्वसम्मति प्राप्त करने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में भारत को सबसे पहले अपने जीवाश्म ईंधन बास्केट को 'हरित ईंधन बास्केट' के रूप में परिवर्तित करना होगा। विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

As part of the efforts being made to achieve a global consensus in terms of achieving the goal of "net zero carbon emissions" India must first convert its fossil fuel basket into a "green fuel basket". Discuss.

गत वर्ष जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न वार्ताएँ और सम्मलेन स्थगित हो गए थे। इस कारण वर्ष 2021 जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस दिशा में भारत के लिये 'शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन' की अवधारणा को आगे बढ़ाने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपने जीवाश्म ईंधन बास्केट को 'हरित ईंधन बास्केट' के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। ऊर्जा उपयोग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर यह कार्य किया जा सकता है।

यद्यपि प्राकृतिक गैस अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला के सभी क्षेत्रों- उत्पादन (घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय) से बाजारों तक परिवहन (पाइपलाइन एवं एलएनजी) और वाणिज्यिक तथा विनियामक मुद्दों के संदर्भ में नीतिगत सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

प्राकृतिक गैस: एक बेहतर विकल्प के रूप में

- **वैविध्यपूर्ण और प्रचुरता:** प्राकृतिक गैस के कई उपयोग हैं और यह सभी जीवाश्म ईंधनों में 'सबसे नया' है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
- **सरल संक्रमण ऊर्जा विकल्प:** प्राकृतिक गैस का उपयोग एक व्यवहार्य संभावना है क्योंकि यह कोयला खदानों को बंद करने पर विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होने देगी। इससे उद्योगों को अपनी प्रणाली के पुन: स्थापन में भारी निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- **जीवाश्म ईंधन का अतिरिक्त उपयोग:** ऊर्जा बास्केट में जीवाश्म ईंधन की औसत वैश्विक हिस्सेदारी 84 प्रतिशत है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है इसलिये कोयले और तेल पर निर्भरता को कम किये जाने की आवश्यकता है।

प्राकृतिक गैस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियाँ

- **मूल्य निर्धारण संबंधी विकृतियाँ:** प्राकृतिक गैस के मूल्य का निर्धारण कई अलग-अलग सूत्रों पर आधारित होता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों के उत्पादित गैस मूल्यों में अंतर तथा गहरे जल के अपतटीय क्षेत्रों और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों के में उत्पादन के आधार पर मूल्यों में अंतर।
- **प्रतिगामी कराधान प्रणाली:** गैस के स्रोत से दूर स्थित ग्राहक, स्रोत के निकट वाले ग्राहक की तुलना में अधिक कीमत चुकाते हैं। परिणामस्वरूप माँग में कमी होती है।
- **हितों के टकराव की स्थिति:** वर्तमान में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) गैस के उत्पादन, परिवहन और विपणन में संलग्न है। इसके परिणामस्वरूप GAIL अपने प्रतिद्वंद्वियों को बाजार तक पहुँच से वंचित करने के लिये गैस पाइपलाइनों के संदर्भ में अपने स्वामित्व का लाभ उठा सकता है।
- **केंद्र और राज्यों का मुद्दा:** भूमि अधिग्रहण, पाइपलाइन मार्ग तथा रॉयल्टी भुगतान जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के कारण राष्ट्रीय पाइपलाइन ग्रिड का निर्माण प्रभावित हो रहा है।

आगे की राह

- **मूल्य निर्धारण के विनियमन में ढील:** घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के लिये मूल्य निर्धारण के विनियमन में ढील, गैस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के संदर्भ में बाजार सुधारों को सुनिश्चित करने का एक प्रमुख पहलू हो सकता है। इसके अलावा, बाजार-आधारित और किफायती मूल्य निर्धारण से औद्योगिक विकास एवं आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा को भी बढ़ावा मिलेगा।
- **अवसंरचना विकास:** इन बाजारों को बुनियादी ढाँचे तक खुली पहुँच, सिस्टम ऑपरेटर, विच्छिन्न विपणन और परिवहन कार्य, बाजार-अनुकूल परिवहन तक पहुँच तथा टैरिफ के अलावा मज़बूत पाइपलाइन अवसंरचना जैसे कारकों से बहुत लाभ हुआ है।
- **मुक्त गैस बाजार:** प्राकृतिक गैस हेतु मूल्य बेंचमार्क सुनिश्चित करने से यह मूल्य शृंखला में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देगा और डाउनस्ट्रीम बुनियादी ढाँचे के साथ इसके अन्वेषण एवं उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
- इसके अलावा इसे जीएसटी ढाँचे के अंतर्गत शामिल करना और अति महत्त्वपूर्ण विनियामक ढाँचे का विकास जैसे कारक भी समग्र गैस बाजार वृद्धि एवं विकास में प्रमुख भूमिका निभाएँगे।

यदि भारत वृद्धिशील रूप से आगे बढ़ता है तो इसके पास स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली के गंतव्य तक पहुँचने का एक बेहतर अवसर है। इसके लिये भारत को अपनी ऊर्जा यात्रा में प्राकृतिक गैस को 'अगला पड़ाव' बनाने की आवश्यकता है।

नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी को साफ करने के लिये सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। भारत की अन्य नदियों में प्रदूषण से निपटने के लिये इस परियोजना का अनुकरण किया जाना चाहिये। चर्चा करें। (250 शब्द) 15

The Namami Gange project is a step in the right direction to clean the Ganges river. This project should be followed to tackle pollution in other rivers of India. Please discuss.

पुनर्स्थापना के विपक्ष में तर्क

- इसे 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)' के क्षेत्र में स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। संकटग्रस्त GIB चीते का संभावित शिकार होगा, जो GIB के अस्तित्व के लिये खतरा बन सकता है।
- इसकी अन्य कीस्टोन प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा होगी, जैसे मध्य प्रदेश के नौरादेही में भेड़िये से।
- प्रस्तावित भारतीय वन्यजीव अधिवास का क्षेत्रफल 1000 वर्ग किमी. है, जबकि अफ्रीकी चीतों का शिकार आधार क्षेत्रफल अत्यंत विस्तृत होता है।
- भारतीय संरक्षण संसाधनों की अफ्रीकी चीतों को संरक्षण प्रदान करने की क्षमता पर भी कई प्रश्न चिह्न हैं।

देश में अफ्रीकी चीते को बसाने की योजना महत्त्वपूर्ण है, इसके लिये मानव क्षति और पशुधन हानि इत्यादि के लिये सख्त प्रोटोकॉल बनाने होंगे। इसके साथ ही वन्य प्रजातियों और संरक्षण नीतियों पर पड़ने वाले तात्कालिक और दीर्घकालीन उपायों पर भी गंभीरता से चर्चा करना चाहिये।

राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक का संक्षिप्त परिचय दीजिये। इसके क्या उद्देश्य हैं? (250 शब्द) 15

Give a brief account of the State Energy Efficiency Preparedness Index. What are its objectives?

उत्तर: जनवरी 2020 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा 'राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक, 2019' जारी किया गया था। यह इस तरह का प्रथम सूचकांक वर्ष-2018 में प्रारंभ किया गया था। इसका विकास 'एलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (AEEE) के सहयोग से BEE द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत 5 भिन्न-भिन्न क्षेत्रों भवन निर्माण, उद्योग, नगर पालिकाओं, परिवहन, कृषि और डिस्कॉम में ऊर्जा दक्षता पहल कार्यक्रमों और परिणामों का आकलन गुणात्मक, मात्रात्मक और परिणाम आधारित संकेतकों को शामिल कर किया गया है।

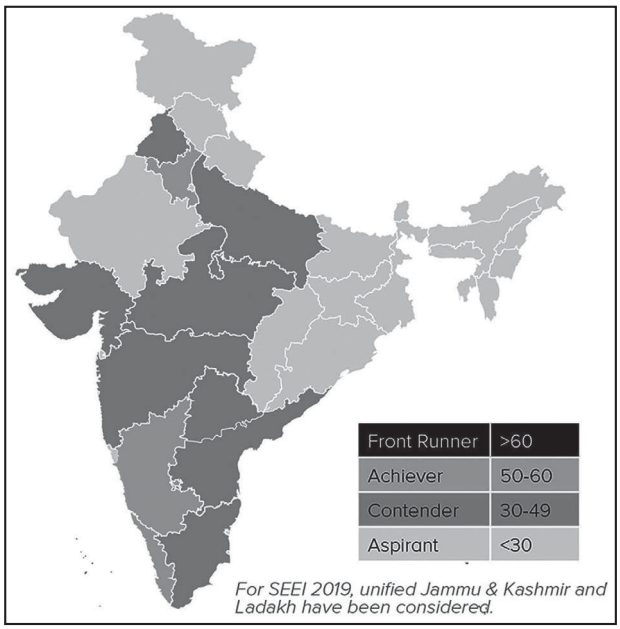

इस सूचकांक में 97 महत्त्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर राज्यों को फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेडर और एस्पिरेंट के रूप में वर्गीकृत किया है। इस वर्ष नवीन संकेतकों में ऊर्जा दक्षता भवन कोड, 2017 का अंगीकरण और एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना भी शामिल है। इस बार 36 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संयुक्त राज्य के रूप में और दमन व दीव तथा दादरा और नगर हवेली अलग-अलग संघ राज्यक्षेत्र के रूप में शामिल हैं।

सूचकांक के निष्कर्ष

- तर्कसंगत तुलना हेतु समग्र कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति (TPES) के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को चार समूह में वर्गीकृत किया गया है। जो राज्य में बिजली, कोयला, तेल और गैस आदि की वास्तविक ऊर्जा मांग की पूर्ति करने हेतु आवश्यक है।
- कोई भी राज्य 'फ्रंट रनर श्रेणी' में शामिल नहीं है।
- हरियाणा, केरल तथा कर्नाटक 'अचीवर श्रेणी' में हैं।
- मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और राजस्थान 'एस्पिरेंट श्रेणी' में सबसे बदतर हैं।
- सूचकांक दर्शाता है कि राज्यों द्वारा अधिकांश पहलें नीतिगत और विनियामकीय स्तर पर ही की गई हैं।

सूचकांक के उद्देश्य

- राज्य और स्थानीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहयोग करना।
- राज्यों की प्रगति के प्रबंधन और देश के एनर्जी फुटप्रिंट की निगरानी रखना।
- राज्यों की ऊर्जा दक्षता पर गतिविधियों के डाटा संग्रहण को संस्थागत बनाना।
- सतत विकास लक्ष्य और INDC की प्राप्ति में सहयोग करना।
- आम व्यक्ति तक वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना।
- ऊर्जा के उचित उपभोग और उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

राज्यों के लिये सुझाव

- सूचकांक के विश्लेषण के आधार पर तीन-सूत्रीय एजेंडा का सुझाव दिया है-
  - 'नीतियों के सफल कार्यान्वयन' के लिये नीति निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यों की सक्रिय भूमिका निर्धारित करना।
  - डाटा संकलन, प्रबंधन और सार्वजनिक उपलब्धता को सुदृढ़ करने के लिये राज्य नामित एजेंसियों को राज्य विभागों एवं निजी क्षेत्र के साथ संलग्नता को सुदृढ़ करना चाहिये।
  - ऊर्जा दक्ष योजनाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिये आम उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करनी चाहिये।

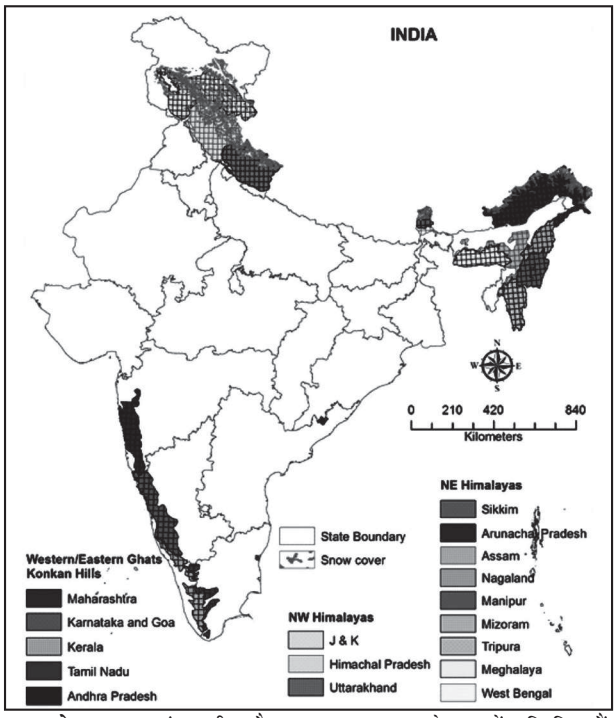

नोट: जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख एक राज्य के रूप में सम्मिलित हैं।

भूस्खलन के कारण नुकसान

- 'ग्लोबल फेटल लैंडस्लाइड्स डेटाबेस 2004-2016' के अनुसार वैश्विक स्तर पर 4,862 अलग-अलग भूस्खलन की घटनाओं में 55,997 मौत दर्ज की गई हैं। उल्लेखनीय है कि इसमें भूकंप से प्रेरित भूस्खलन की घटनाएँ शामिल नहीं हैं।
- सभी महाद्वीपों में एशिया भूस्खलन की घटना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है तथा सर्वाधिक नुकसान का वहन करता है।
- इतना ही नहीं एशियाई देशों में भी दक्षिण एशियाई देश सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं और इनमें भारत भूस्खलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है।
- भूस्खलन बार-बार और व्यापक स्तर होने वाली घटना है जिसके कारण प्रत्येक वर्ष संपत्ति की क्षति, पर्यावरणीय क्षति, मरम्मत कार्यों और रक्षा उपायों के रखरखाव पर दुनिया भर में अरबों अमरीकी डॉलर का खर्च हो जाता है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूस्खलन के कारण कई विकासशील देशों में आर्थिक नुकसान सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1 से 2 प्रतिशत तक हो सकता है।

नवंबर 2019 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनआईडीएम) ने "लैंडस्लाइड्स रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलिएशन" पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। इसके साथ ही इसने हाल में राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (NLRMS) को भी जारी किया है-

लघु अवधि कार्यान्वयन रणनीति

- भूस्खलन जोखिम क्षेत्र (एलएचजेड) मानचित्रण कार्य करने में सक्षम अन्य एजेंसियों और नोडल एजेंसी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) से परामर्श करके एलएचजेड निगरानी समिति (एलएचजेडएमसी) का गठन करना।
- जीएसआई द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के विभाग, विभिन्न संस्थाओं और एजेंसियों आदि द्वारा भूस्खलन जोखिम क्षेत्र (एलएचजेड) और भूस्खलन अतिसंवेदनशील क्षेत्र (एलएसजेड) पर उपलब्ध सभी रिपोर्ट, एटलस और नक्शे का संग्रह और प्रसूचीकरण करना।
- वर्तमान कार्यप्रणाली को मौजूदा खतरे और जोखिम के स्तर तक ले जाने के लिये अगले 2 वर्षों में कम-से-कम 10 साइटों में पायलट प्रोजेक्ट्स को शुरू करना।
- देश के भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में एलएचजेड मानचित्र निर्माण कार्य मध्य स्तर तक ले जाने के लिये विशेषज्ञ एजेंसी समूहों से अनुबंध पर कार्य लेना।

दीर्घकालिक कार्यान्वयन रणनीति

- एलएचज़ेड मानचित्र निर्माण कार्य 1: 10,000 पैमाने पर मध्य स्तर तक ले जाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ज़िला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर भूस्खलन खतरा प्रबंधन की योजना बनाना।
- चार वर्षों में इस मानचित्रण को सर्वप्रथम प्राथमिकता वाले 47 क्षेत्रों में बहुत उच्च रेज़लूशन, रिमोट सेंसिंग डेटा, विस्तृत क्षेत्र इनपुट, जीपीएस, लिडार और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके बनाया जाना चाहिये।
- प्रशासन, सामान्य समुदाय और पर्यटक के आम प्रयोग के लिये वेब-आधारित और एप-आधारित प्रसार उपकरण (Dissemination Tools) का उपयोग करके नक्शे तैयार करना।

कार्बन मूल्य निर्धारण क्या है? इसके साथ ही इसकी विशेषताएँ और संबंधित समस्याओं पर भी प्रकाश डालें। (250 शब्द) 15

What is carbon pricing? Also, highlight its features and related problems.

उत्तर: विश्व बैंक के अनुसार कार्बन मूल्य निर्धारण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की वाह्य लागतों को शामिल किया जाता है। इसके तहत उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर इनका मूल्य निर्धारित करके स्रोत से जोड़ा जाता है। इसमें बाह्य लागतों में लोगों द्वारा फसलों के नुकसान, हीट वेव्स के दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि, सूखे और बाढ़ से संपत्ति के नुकसान आदि की क्षतिपूर्ति के लिये किये जाने वाले भुगतान को शामिल किया जाता है। कार्बन मूल्य निर्धारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से होने वाले नुकसान का दायित्व इसके लिये ज़िम्मेदारों पर आरोपित करता है जो इससे बच सकते हैं। सरकारों और व्यवसायों दोनों के मध्य आम सहमति है कि अर्थव्यवस्था को विकार्बनीकृत बनाने के लिये कार्बन मूल्य निर्धारण की मौलिक भूमिका है। कार्बन मूल्य निर्धारण के दो मुख्य प्रकार हैं–

- **इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम (ईटीएस)–** इसे कभी-कभी कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है तथा इस सीमा से कम उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को अपने कोटे से शेष उत्सर्जन को निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वालों को बेचने की अनुमति देता है। ये उत्सर्जन कोटे की मांग और आपूर्ति उत्पन्न करके

7 सुरक्षा (Security)

रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए प्रयासों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Examine the efforts made to make the country self-reliant in the defense sector.

उत्तर: भारत ढाई फ्रंट के बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के खतरों के प्रति सुभेद्य है। इन्हीं खतरों से देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ व पुख्ता करने के क्रम में भारत अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हथियारों व रक्षा उपकरणों के आयात में व्यय कर देता है। इसीलिये रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रक्षा निर्यात को बढ़ाने हेतु सरकार ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु पूंजी अधिग्रहण बजट के तहत 60 फीसदी से अधिक फंड को रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिये तथा घरेलू क्षेत्र से खरीद के लिये 70 हज़ार करोड़ की राशि को निर्धारित करने के फैसले से देश के MSME, स्टार्टअप्स व घरेलू उद्योगों को लाभ होगा।
- डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, 2020 में 1200 से अधिक MSME की भागीदारी देश में रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करेगी।
- सरकार द्वारा हल्के लड़ाकू हेलिकॉप्टरों, आर्टिलरी गन, शॉर्ट व मिडल रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम आदि को रक्षा आयात की नकारात्मक सूची में शामिल करने से आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा।
- रक्षा उद्योग को उदार बनाने तथा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु डी-लाइसेंसिंग, सीमित विनियमन एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सरल प्रक्रिया को अपनाया गया है। इससे मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही वर्ष 2025 तक $5 बिलियन के सैन्य निर्यात के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में आसानी होगी।

यद्यपि सरकार रक्षा विनिर्माण पर जोर दे रही है ताकि देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने में मदद मिल सके, साथ ही देश में ही युवाओं के लिये रोज़गार सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन भारत के पास रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के लिये एक उचित औद्योगिक आधार का अभाव है तथा रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी नगण्य है। इसके अतिरिक्त तकनीकी हस्तांतरण की समस्या, नीतिगत शिथिलता भी एक प्रमुख चुनौती है।

आगे की राह

- रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देकर भारत के सैन्य आधुनिकीकरण व आत्मनिर्भर अभियान को रफ्तार प्रदान की जा सकती है।
- रक्षा अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करके रक्षा आयात को न्यून तथा रोज़गार सृजन व जीडीपी में वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- ब्रह्मोस व आकाश मिसाइलों का निर्यात भारत की अर्थव्यस्था को मजबूती प्रदान करेगा, साथ ही इससे देश की भू-राजनीतिक सीमा का विस्तार भी होगा।
- तकनीकी हस्तांतरण पर जोर दिया जाना चाहिये , साथ ही इस क्षेत्र में R&D को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी सहारा लिया जाना चाहिये।

बीते कई महीनों से भारत व चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है। इसकी उत्पत्ति के कारणों में से एक हाल के समय में भारत द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर व तीव्र अवसंरचनात्मक विकास बताया गया है। इस संदर्भ में सीमा पर अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकताओं को रेखांकित कीजिये व शेकटकर समिति की इससे संबंधित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द) 15

For past several months, there have been continuous tensions along the border between India & China. Continuous and rapid infrastructural development along border areas in recent times has been identified as one of the reasons behind the rise of these tensions. In this context, underline the importance of infrastructural development on borders and clarify the implementation status of Shekatkar Committee's recommendations regarding this.

उत्तर: 2020 के मई-जून से भारत व चीन एक जटिल सीमा संघर्ष में उलझे हुए हैं। विशेषज्ञों का यह मत है कि इस तनाव का एक कारण भारत द्वारा सीमा क्षेत्र में तीव्र अवसंरचना विकास है। संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 तक भारत-चीन सीमा पर सड़क की कुल स्वीकृत 3290.32 किमी. लंबाई में से 2486.44 किमी. का कार्य पूरा हो चुका है और इसमें से अधिकांश निर्माण कार्य बीते 2-3 वर्षों में ही हुआ है। उल्लेखनीय है कि सीमा तनाव बढ़ने के कारण चीन ने सीमा पर अपनी ओर सैन्य सामग्री एकत्रित करना आरंभ की तो भारत के लिये भी बेहतर सीमा अवसंरचना की सहायता से उसी अनुपात में सैन्य सामग्री पहुँचाना संभव हुआ। इस प्रकार, सीमा पर अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकताएँ निम्नवत हैं-

- भारत का उत्तर-पश्चिमी पड़ोसी जहाँ आतंकवादियों की शरणस्थली बना हुआ है वहीं हमारा उत्तरी पड़ोसी लंबे समय से एक विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सीमा की निरंतर संवेदनशीलता व राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पर आधुनिक एवं उन्नत अवसंरचना का विकास ज़रूरी है।

दृष्टि The Vision

घर बैठे IAS/PCS की संपूर्ण तैयारी करने के लिये आपका स्वागत है

Drishti Learning App पर

GET IT ON Google Play

अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

ऐप की विशेषताएँ

- टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
- ऑनलाइन, पेनड्राइव मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
- प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
- सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा।
- अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
- IAS और PCS के कोर्स उपलब्ध।
- ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
- हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
- उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।
- कई विषयों के कोर्स ऑनलाइन और पेनड्राइव मोड में भी उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली शाखा) का पता
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि आई.ए.एस. (राजस्थान शाखा) का पता
प्लॉट नंबर-45 व 45-A, हर्ष टावर-2, मेन टोंक रोड़, वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर राजस्थान-302018
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

641, 1st Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

मूल्य : ₹ 160